रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-128/90 REGISTERED NO. D. (D.N.)-128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1990/कार्तिक 19, 1912
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1990/KARTIKA 19, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम,
(जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1990

सा. का. नि. 72:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी में ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी, ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1990

सा. का. नि. 687.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में लेखा निरीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े हुए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल (पेंशन) नियम, 1972 नियम के अधीन अनुज्ञेय हैं या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
6. लेखा निरीक्षक	7* (1990) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित अनुसचिवीय	2375-75-3200-द.रो. 100-3500 रु	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति:—ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 2000-3500 रुपये) जिसने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके न हो सकने पर ऐसा ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिसने ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान 20000-3200 रु.) के रूप में 4 वर्ष नियमित सम्मिलित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :— (क) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं और जो रोकड़ और लेखा कार्य मे प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा जिन्हें रोकड़ लेखा और बजट कार्यों का अनुभव है; या

12
(2) केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो 1640-2900 रु. के वेतनमान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखाकार के या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं, और उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं; या (3) किसी भी संगठित लेखा विभाग में 1640-2900 रु. के वेतनमान में ऐसे लेखाकार/लेखा परीक्षा अधिकारी या अधीनस्थ लेखा सेवा लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति पर संविदा की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उनकी संरचना	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1. उप महानिदेशक (निरीक्षण) महानिदेशालय आकाशवाणी —अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक (प्रशासन) आकाशवाणी—सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशासन) दूरदर्शन—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है

टिप्पणी:—जी एस आर 347 दिनांक 17-3-1962 के तहत मुख्य नियमावली में प्रकाशित भारत के राजपत्र 1962 असाधारण भाग—2 खण्ड—3 उपखण्ड (1) में निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए:—

1. अधिसूचना	संख्या 5(9)/58—बी(ए) दिनांक 4-5-62 जी.एस.आर.संख्या 721 दिनांक 26-5-62
2. —तदैव—	संख्या 11/6)/62—बी(ए), दिनांक 18-10-62 जी० एस० आर० संख्या 1412 दिनांक 27-10-62
3. —तदैव—	संख्या 5(89)/58—बी (ए), दिनांक 20-11-62 जी.एस.आर. संख्या 1627 दिनांक 1-12-62
4. —तदैव—	संख्या 9/7/62—बी(ए), दिनांक 8-1-63 जी० एस० आर० संख्या 123 दिनांक 8-1-63
5. —तदैव—	संख्या 13/55/61—बी (ए), दिनांक 8-7-63 जी.एस.आर. संख्या 1225 दिनांक 20-7-63
6. —तदैव—	संख्या 5/43/62—बी(ए), दिनांक 10-8-63 जी०एस०आर० संख्या 1319 दिनांक 10-8-63
7. —तदैव—	संख्या 11/2/61—बी (ए) दिनांक 31-8-64 जी०एस०आर० संख्या 1310 दिनांक 12-9-64
8. —तदैव—	संख्या 11/3/63—बी (ए), दिनांक 15-10-64 जी०एस०आर० संख्या 1564 दिनांक 31-10-64
9. —तदैव—	संख्या 11/6/64—बी (ए) दिनांक 28-4-65 जी०एस०आर० संख्या 705 दिनांक 8-5-65
10. —तदैव—	संख्या 5/45/65—बी(ए), दिनांक नवम्बर, 1965
11. —तदैव—	संख्या 11/4/65—बी(ए), दिनांक 31-12-65 जी०एस०आर० संख्या 58 दिनांक 8-1-66
12. —तदैव—	संख्या 11/3/65—बी (ए), दिनांक 1-11-66 जी०एस०आर० संख्या 1782 दिनांक 26-11-66
13. —तदैव—	संख्या 11/4/65 बी (ए) दिनांक 24-12-66 जी. एस. आर. संख्या 1973 दिनांक 29-12-66
14. —तदैव—	संख्या 7/1/67—बी (ए) दिनांक दिसम्बर, 1967
15. —तदैव—	संख्या 20/6/67—बी(ए) दिनांक 23-3-68 जी०एस०आर० संख्या 541 दिनांक 23-3-68
16. —तदैव—	संख्या 7/1/67—बी(ए) दिनांक 30-4-68 जी०एस०आर० संख्या 910 दिनांक 30-4-68
17. —तदैव—	संख्या 20/6/67 बी (ए) दिनांक 17-7-69 जी.एस.आर. संख्या 1761 तथा 1821

18. अधिसूचना संख्या 7/12/68—बी (ए) दिनांक 19-7-90 जी एस आर संख्या 1682
19. —तदैव—संख्या 17/9/68—बी ए), दिनांक 6-1-70 जी.एस.आर संख्या 173 दिनांक 31-1-70
20. —तदैव— संख्या 17/7/69—बी(ए), दिनांक 21-1-70 जी एस. आर संख्या 204 दिनांक 7-2-70
21. —तदैव—संख्या 17/8/69—बी (ए),दिनांक 2-4-70 जी एसआर संख्या 723 दिनांक 2-5-70
22. —तदैव—संख्या 7/2/68—बी(ए) , दिनांक 24-4-70 जी एस. आर संख्या 1116 दिनांक 15-8-70
23. —तदैव— संख्या 1/4/70—बी (ए), दिनांक 25-8-70
24. —तदैव—संख्या 11/9 69—बी (ए) दिनांक 21-2-72 जी एस आर संख्या 367 दिनांक 2-3-72
25. —तदैव— संख्या 1/9/78—बी(ए), दिनांक 8-7-72
26. —तदैव—संख्या 1/7/71—बी(ए) दिनांक 13-2-73 जी एस आर संख्या 228 दिनांक 3-3-73
27. —तदैव— संख्या 1/9/72—बी (ए), दिनांक 10-4-73 जी. एस. आर. संख्या 476 दिनांक 5-5-73
28. —तदैव— संख्या 1/15/73—बी (ए) दिनांक 16-2-74 जी. एस. आर. संख्या 256 दिनांक 9-3-74
29. —तदैव— संख्या 1/12/73—बी (ए), दिनांक 4-4-75
30. —तदैव— संख्या 1/12/73—बी (ए) , दिनांक 24-6-75 जी. एस. आर. संख्या 894 दिनांक 19-7-75
31. —तदैव— संख्या 17/9/79 बी (ए), दिनांक 11-6-75 जी. एस. आर. संख्या 801 दिनांक 28-6-75
32. —तदैव— संख्या 1/15/75—बी (ए), दिनांक 15-4-76 जी. एस. आर. संख्या 677 दिनांक 15-5-76
33. —तदैव— संख्या 1/12/73—बी(ए) दिनांक 4-11-76 जी एस. आर संख्या 1671 दिनांक 27-11-76
34. —तदैव—संख्या 12019/9/78—बी (ए), दिनांक 26-12-78 जी एस आर संख्या 95 दिनांक 20 1-79
35. —तदैव—संख्या 12018/4/77—बी (ए) दिनांक 4-9-80 जी. एस. आर. संख्या 1118 दिनांक 25-10-80
36. —तदैव— संख्या 12019/9/78 बी(ए) दिनांक 26-12-80 जी. एस. आर. संख्या 44 दिनांक 10-1-81
37. —तदैव—संख्या 12019/1/80 बी(ए) दिनांक 20-10-81 जी. एस. आर. संख्या 1002 दिनांक 7-11-81
38. —तदैव— संख्या 12018/4/77—बी (ए) दिनांक 15-1-82 जी. एस. आर. संख्या 137 दिनांक 6-2-82
39. —तदैव— संख्या 45011/83/82 बी (ए) दिनांक 23-10-83 जी. एस. आर. संख्या 740 (ई.जे)
40. —तदैव— संख्या 1201/6/83—बी(ए), दिनांक 28-6-85
41. —तदैव—संख्या 45011/83/82 बी (ए) खण्ड 4(2) दिनांक 8-5-87
42. —तदैव—संख्या 1/19/86—एस-2 आकाशवाणी/बी (ए) दिनांक 25-10-87
43. —तदैव— 8/45/87 एस/आकाशवाणी/बी(ए) दिनांक 4-4-88
44. —तदैव— संख्या 7-6-87—आकाशवाणी बी(ए) दिनांक 12-4-88
45. —तदैव— संख्या 14/18/86—एस 2 बी(ए), दिनांक 25-5-88
46. —तदैव— संख्या 2019/2/87—बी (ए) दिनांक 26-5-88
47. —तदैव—संख्या 7-5-87—ए. आर./बी (ए) दिनांक 13-6-88
48. —तदैव—संख्या 8/48/87—एस2/एस आई. (बी)/ बी (ए), दिनांक 31-5-90

[संख्या 12019/5/89—बी (ए)]
कश्मीरी लाल, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 15th October, 1990

G.S.R. 687.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rues, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 6 relating to the post of Inspector of Accounts and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Inspector of Accounts	7* (1990) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2375-75-3200-EB-100-3500.

Whether Selection post or non-Selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
5	6	7
Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made
8	9	10	11	12
Not Applicable	Not Applicable.	Not Applicable.	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion : Senior Administrative Officer (Pay Scale Rs. 2000-3500) with 2 years regular service in the grade failing which Senior Administrative Officer with 4 years combined regular service as Senior Administrative Offi er and Administrative Officer (Pay Scale Rs. 2000- 3200.)

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Transfer on Deputation : (a) Officer of the Central Government :— (i) holding analogous posts on regular basis and having undergone training in Cash and Accounts work and possessing experience in Cash, accounts and Budget work; or (ii) Officers of the Central Government holding posts of Junior Accounts Officer/Accountant or quivalent in the pay scale of Rs. 1640-2900 with 5 years regular service in the grade; or (iii) Accountant/Audit Officers or Subordinate Accounts Service or Accountants in the pay scale of Rs. 1640-2900 with 5 years regular service in the grade from any of the organised Accounts. Deptt. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideratton for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' Departmental Promotion Committee : 1. Deputy Director General (Inspection), Directorate General : All Indta Radio—Chairman 2. Deputy Director General (Administration) All India Radio—Member 3. Deputy Director General (Administration)- Doordarshan—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Note : *Principal rules published vide GSR No. 347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub Section (i) subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62
GSR No. 721 datxd 26-5-62
2. ,, No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62
GSR No. 1412 dated 27-10-62
3. ,, No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62
GSR No. 1627 dated 1-12-62
4. ,, No. 9/7/62-(BA), dated 8-1-63
GSR No. 123 dated 8-1-63
5. ,, No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63
GSR No. 1225 dated 20-7-63
6. ,, No. 5/43/62-B(A), dated 10-8-63
GSR No. 1319 dted 10-8-63
7. ,, No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-64
GSR No. 1310 datde 12-9-64
8. ,, No. 11/3/63-B(A), dated 15-10-64
GSR No. 1564 dated 31-10-64
9. ,, No. 11/6/64-B(A) dated 28-4-65
GSR No. 705 dated 8-5-65
10. ,, No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11. No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65
GSR No. 58 dated 8-1-66
12. ,, No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-66
GSR No. 1782 dated 26-11-66
13. ,, No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66
GSR No 1973 dated 29-12-66
14. ,, No. 7/1/67-B(A), dated December, 1967
15. ,, No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68
GSR No. 541 dated 23-3-68
16. ,, No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68
GSR No. 910 dated 30-4-68
17. ,, Mo. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69
GSR Nos. 1761 and 1821
18. ,, No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69
GSR No. 1682
19. ,, No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70
GSR No. 173 dated 31-1-70
20. ,, No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70
GSR No. 204 dated 7-2-70
21. ,, No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70
GSR No. 723 dated 2-5-70
22. ,, No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70
GSR No. 1161 dated 15-8-70
23. ,, No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70
24. ,, No. 11/9/69 B(A), dated 21-2-72
GSR No. 367 dated 2-3-72
25. ,, No. 1/9/78-B(A), dated 8-7-72
26. ,, No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73
GSR No. 228 dated 3-3-73
27. ,, No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73
GSR No. 476 dated 5-5-73

28.	,,	No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74 GSR No. 256 dated 9-3-74
29.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75
30.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75 GSR No. 894 dated 19-7-75
31.	,,	No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75 GSR No. 801 dated 28-6-75
32.	,,	No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76 GSR No. 677 dated 15-5-76
33.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76 GSR No. 1671 dated 27-11-76
34.	,,	No. 12019/9/78-B(A), dated 25-12-78 GSR No. 95 dsed 20-1-79
35.	,,	No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-80 GSR No. 1118 dated 25-10-80
36.	,,	No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-80 GSR No. 44 dsed 10-1-81
37.	,,	No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10-81 GSR No. 1002 dated 7-11-81
38.	,,	No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-82 GSR No. 137 dated 6-2-82
39.	,,	No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-84 GSR No. 740 (EI)
40.	,,	No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85
41.	,,	No. 45011/83/82-B(A), Vol. IV(II), dated 8-5-87
42.	,,	No. 1/19/86-SII/AIR/B(A), dt. 25-10-87
43.	,,	No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dt. 4-4-88
44.	,,	No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88
45.	,,	No. 14/18/86-S..II/B(A), dated 25-5-88
46.	,,	No. 12019/2/87-B(A), dated 26-5-88
47.	,,	No. 7/5/87-AR/B(A), dated 13-6-88
48.	,,	No. 8/48/87-S.II/SI(B)/B(A), dt. 31-5-90

[No. 12019/5/89-B(A)]
KASHMIRI LAL, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1990

सा. का. नि. 688.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी सहायक भर्ती, नियम, 1959 तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (औषधि मानक नियंत्रण संगठन में श्रेणी 2 के कुछ पदों पर नियुक्ति) नियम 1960 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी सहायकों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1990 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।